

न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अशोकनगर के न्यायालय के अतिरिक्त  
न्यायाधीश, अशोकनगर, श्रंखला न्यायालय चंदेरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.)  
 (समक्ष – सैफी दाऊदी)

आपराधिक अपील क. 53/15

संस्थित दिनांक 04.06.15

1. किशोर सिंह पुत्र सरवर सिंह, आयु 43 वर्ष, जाति लोधी, निवासी ग्राम धमरासा,
2. मन्नूलाल पुत्र हटे सिंह आयु 78 वर्ष, जाति लोधी, निवासी ग्राम धमरासा
3. मुकेश पुत्र मेहरवान सिंह, आयु 27 वर्ष
4. मेहरवान सिंह पुत्र सरवर सिंह आयु 43 वर्ष
5. सुखवती पत्नि मेहरवान सिंह आयु 48 वर्ष
6. सखीबाई पत्नि किशोर सिंह आयु 40 वर्ष, जाति लोधी, समस्त निवासीगण ग्राम धमरासा थाना चंदेरी जिला अशोकनगर म.प्र.

----- अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण

**विरुद्ध**

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा पुलिस आरक्षी केन्द्र चंदेरी  
 जिला अशोकनगर, म.प्र.

----- प्रत्यर्थी/अभियोजक

---

अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा :- श्री अमर सिंह नरवरिया अधिवक्ता।  
 प्रत्यर्थी/अभियोजन द्वारा :- अपर लोक अभियोजक उपस्थित नहीं।

---

**—:: निर्णय ::—**

**(आज दिनांक ..... को पारित किया गया)**

1. अपीलार्थीगण (जिसे इसमें इसके पश्चात् अभियुक्तगण संबोधित किया जायेगा) ने वर्तमान अपील अंतर्गत धारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 520/06 में श्री दीपक चौधरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी चंदेरी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.05.15, जिसके द्वारा समस्त अभियुक्तगण को समस्त व्यथितगण हेतु धारा 342 भा.द.वि.

के प्रमाणित आरोप के संबंध में एक माह का सश्रम कारावास एवं 100 रुपये के अर्थदंड तथा व्यतिक्रम में 05 दिवस का सश्रम कारावास, अभियुक्तगण किशोरसिंह, मुकेश व मन्नू को आहत गोविंद के संबंध में धारा 323 भा.द.वि. के प्रमाणित आरोप हेतु एवं अभियुक्तगण सुखबंती, मेहरवान व सखीबाई को आहत गोविंद के संबंध में धारा 323/34 भा.द.वि. के प्रमाणित आरोप हेतु एक माह का सश्रम कारावास एवं 100 रुपये के अर्थदंड व व्यतिक्रम में 05 दिवस का सश्रम कारावास तथा अभियुक्त मुकेश को आहत लीलाबाई के संबंध में प्रमाणित आरोप धारा 324 भा.द.वि. हेतु एवं अन्य समस्त अभियुक्तगण को प्रमाणित आरोप धारा 324/34 भा.द.वि. के संबंध में 04 माह के सश्रम कारावास एवं 300/- रुपये के अर्थदंड व व्यतिक्रम में 10 दिवस के सश्रम कारावास से तथा समस्त अभियुक्तगण को भाईसाहब के संबंध में प्रमाणित आरोप धारा 325/34 भा.द.वि. हेतु एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000/- रुपये के अर्थदंड एवं व्यतिक्रम में 01 माह के सश्रम कारावास के दंडादेश से दंडित किया गया है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

2. विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अभियोजन प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार रहे हैं कि अभियोगी गोविंद सिंह ने दिनांक 18.09.06 को 07 बजे ग्राम धमरासा में कारित घटना के संबंध में उसी दिनांक को 17:30 बजे पुलिस चौकी थूबोन पर समस्त अभियुक्तगण के नामजद प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 अपनी पत्नि लीलाबाई तथा लड़के भाईसाहब सहित उपस्थित होकर इस आशय की अंकित कराई की कि, सुबह लगभग सात बजे वह अपने मकान से बाहर निकलकर मका तोड़ने जा रहा था, जभी अभियुक्त किशोर ने आकर पुरानी रंजिश से उसके वांधे कंधे पर लाठी मारी, बाद में मुकेश आया और एक लाठी कमर में मारी, मन्नू आया उसने लाठी दाहिने पैर की पिडली में मारी जिससे अभियोगी गिर गया और जब उसकी पत्नि लीलाबाई बचाने आयी तो सुखबंती ने उसे कमर में लाठी मारी, सखीबाई आयी और उसने लाठी वांधे हाथ की कोहनी के उपर मारी, किशोर सिंह ने लीलाबाई को सिर में लाठी मारी और मन्नू ने उसके पुट्टे में लाठी मारी, मुकेश ने लीलाबाई को फरसे से सिर में चोट पहुंचायी और उसकी पत्नि से मारपीट करने पर उसे मुंदी चोट आयी। जब अभियोगी का लड़का भाईसाहब बचाने आया तो उसे किशोर सिंह, मन्नू व मुकेश ने लाठियों से मारपीट की और इन लोगों ने अभियोगी, उसकी पत्नि व लड़के को पकड़ कर रस्सी से बांध दिया और भी मारपीट की। मौके पर भज्जी व रामचरण ने आकर घटना को देखा। अभियुक्तगण ने अभियोगी आदि को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस चौकी थूबोन पर अपराध क्रमांक 023/06 धारा 342, 323/34, 506/34 भा.द.वि. के संबंध में अपराध पंजीबद्ध करने के उपरांत पुलिस थाना चंदेरी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 7 अभिलिखित कर असल अपराध क्रमांक 279/06 उक्त धाराओं के संबंध में पंजीबद्ध करने के उपरांत आहतगण का मेडीकल परीक्षण उसी दिनांक को चंदेरी चिकित्सालय में प्रदर्श पी 4 लगायत 6 अनुसार कराया गया। अनुसंधान के दौरान नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 रामचरण की निशानदेही पर बनाने के उपरांत अभियोगी तथा

अन्य साक्षीगण के कथन अंकित करने के पश्चात् अभियुक्त को गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी 8 अनुसार गिरफ्तार किया गया। आहत भाईसाहब की एक्सरे प्लेट व एक्सरे रिपोर्ट संलग्न कर अनुसंधान पूर्ण होने पर अभियोग पत्र विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

3. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 323, 324/34, 325/34, 342 भा.दं.वि. के अंतर्गत दंडनीय अपराध के संबंध में आरोप विरचित किये गये। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण का अभिवाक् लेखबद्ध किया गया और अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. संपन्न किये जाने पर अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष होना अभिकथित करते हुए, उनके हाथ दिये गये अस्सी हजार रुपये मांगने पर झूठ फसाया जाना अभिकथित कर, अभियुक्तगण ने अपनी प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षा साक्षी के रूप में स्वयं अभियुक्त किशोर सिंह प्रति.सा.1, मेहरवान सिंह प्रति.सा.2 के कथन अंकित कराते हुए प्रतिरक्षा दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रदर्श डी 1 की अनुबंध पत्र तथा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 495/06 पुलिस थाना चंदेरी बनाम गोविंदा आदि के चालान संलग्न डी 2 लगायत डी 4 का मेडीकल, प्रतिवेदन प्रदर्श डी 5 प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श डी 6 फूलाबाई का पुलिस कथन, प्रदर्श डी 7 का नक्शा मौका, प्रदर्श डी 8 एवं 9 मन्नू एवं किशोर सिंह के पुलिस कथन, प्रदर्श डी 10 का अभियोग पत्र, प्रदर्श पी 11 प्रकरण क्रमांक 276/06 के अभियोग पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि व इसी अपराध हेतु डी 12 का नक्शा मौका, प्रदर्श डी 13 कुंवरलाल, प्रदर्श डी 14 किशोरसिंह, प्रदर्श डी 15 फूलाबाई के कथन, प्रदर्श डी 17 प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रदर्श डी 18 प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

4. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की ओर से अभिलेख पर प्रस्तुत की गयी साक्ष्य का मूल्यांकन कर अभियुक्तगण पर उपरिलिखित दंडादेश अधिरोपित किया। उक्त दंडादेश के विरुद्ध ही वर्तमान आपराधिक अपील विचाराधीन है।

5. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रश्नगत घटना में समस्त अपीलार्थीगण की उपस्थिति का सामान्य आशय मानकर गंभीर भूल की है। स्वतंत्र साक्षी रामचरण द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं कर उभयपक्ष के मध्य हुई वास्तविक घटना का समर्थन किया है। साक्षी भज्जू ने फरियादी पक्ष का कोई समर्थन नहीं किया है। डॉक्टर शर्मा द्वारा आहतगण की चोटें सख्त एवं बोथरी वस्तु से आना अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है तथा किसी भी आहत का धारदार आयुध से चोट कारित का कोई तथ्य अंकित नहीं किया है। फरियादी गोविंद सिंह एवं लीलाबाई के विरुद्ध अपीलार्थी किशोर सिंह एवं उसकी मां मूलाबाई की मारपीट करने का कास प्रकरण 495/06 प्रचलित रहा है। साक्षीगण के कथनों परस्पर तात्विक महत्व का विरोधाभास है। अपीलार्थीगण की ओर से प्रकरण में प्रतिरक्षा में दस्तावेज प्रस्तुत किये

हैं, जिन पर विद्वान विचारण न्यायालय ने ध्यान आकर्षित नहीं किया है तथा अग्रसर पक्ष की खोज नहीं की है। अभियोजन की ओर से कोई जप्ती नहीं की गयी है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं दंडादेश दिनांक 16.05.15 को अपास्त कर अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने की प्रार्थना न्यायालय से की गयी है।

6. अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत किये गये तर्क के आलोक एवं अभिलेख पर विद्यमान साक्ष्य तथा विद्वान विचारण न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन एवं परिशीलन किये जाने पर यह अवधारणीय प्रश्न उद्भूत होते हैं कि :-

1. क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण की दोषसिद्धि का दिया गया निष्कर्ष अभिलेखगत साक्ष्य एवं सुसंगत विधि के अनुकूल है ?
2. क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को प्रदत्त दंडादेश विधि के अनुकूल है ?

### साक्ष्य मूल्यांकन सह निष्कर्ष

#### अवधारणीय प्रश्न क्रमांक 1 :-

7. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्षी अभियोगी गोविंद सिंह अ.सा.1, लीलाबाई अ.सा.2, भाईसाहब अ.सा.3, रामचरण अ.सा.4, डॉक्टर आर.पी. शर्मा अ.सा.5, एफ.आई.आर. लेखक पुलिस उपनिरीक्षक जगदीश धाकड़ अ.सा.6, आहत भाईसाहब का एक्सरे परीक्षण कर्ता डॉ. सीताराम रघुवंशी अ.सा.7 मूल एफ.आई.आर. लेखक सहायक उपनिरीक्षक गोविंद राम तिवारी अ.सा.8, साक्षी भज्जी उर्फ रघुनाथ अ.सा.9 के अभिकथन अंकित कराये हैं। अभियुक्तगण ने अपनी प्रतिरक्षा में स्वयं अभियुक्तगण किशोरसिंह प्रति.सा.1 एवं मेहरवान प्रति.सा.2 का अभिकथन अंकित कराते हुए प्रतिरक्षा में प्रदर्श डी 1 लगायत डी 21 के दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

8. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोगी गोविंद सिंह अ.सा.1 प्रश्नगत घटना के समय घर से खेत पर मक्का तोड़ने जाते समय उसका सीढियों से उतरकर गांव में पहुंचते ही अभियुक्त किशोर सिंह द्वारा उसे वांये कंधे पर लट्ठ मार देना इसके पश्चात् अभियुक्त मुकेश का आना और उसके द्वारा कमर में लट्ठ मारना फिर मन्नू द्वारा भी पिंडली में लट्ठ मारना और उसे बचाने के लिए आने पर उसकी पत्नि लीलाबाई को मुकेश द्वारा लट्ठ से मारना और सुखबती व सखीबाई द्वारा भी लट्ठ से मारे जाने का अभिकथन कर अभियुक्तगण द्वारा उन्हें बांध कर डाल देना फिर शाम को पुलिस को पता चलने पर घटना स्थल पर पुलिस का आना अभिकथित कर अभियोगी थाने पर रिपोर्ट करना चंदेरी तथा गुना में इनका मेडीकल परीक्षण होना उसके लड़के का हाथ टूट जाना कथित करते हुए पुलिस उसके बयान लेकर नक्शा

मौका बनाना कथित करता है। आहत लीलाबाई अभियुक्त मुकेश द्वारा स्वयं को सिर में फरसा मारना और मन्नू द्वारा आकर उसे लट्ठ मारना सखीबाई द्वारा भी उसके साथ मारपीट करना कथित करते हुए आहत गोविंद सिंह को किशोर सिंह द्वारा बांधे हाथ में लट्ठ मारना और किशोर सिंह द्वारा उसे भी लट्ठ मारना कथित करता है। उसके लड़के को किशोर द्वारा मारपीट करने से लड़के का हाथ टूट जाना और अभियुक्तगण द्वारा स्वयं को खींचकर मकान के अंदर कर लेना और रस्सी से बांधकर डाल दिया था और उसे जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस सात बजे आयी थी और आकर उसे खोला था।

9. साक्षी भाईसाहब, मेहरवान, किशोर, मन्नू और नत्थू इन लोगों द्वारा पकड़कर मारपीट करना और बचाने जाने पर उसे भी मारपीट करना और उसके पैर व हाथ में लट्ठ मारना जिससे उसके दांये हाथ में फ्रेक्चर होना और अभियुक्तगण द्वारा उनकी मारपीट कर घर में बांधकर डाल दिया जाना अपने मुख्य परीक्षण में अभिकथित कर अपनी मां को सिर में कूल्हे, कमर व पैर में व गोविंद सिंह को जांघ व हाथ में चोटें आना व सभी का मेडीकल परीक्षण कराया जाना भी अपने मुख्य परीक्षण में अभिकथित करता है। जबकि अभियुक्तगण किशोर सिंह एवं मेहरवान सिंह प्रति.सा. 1 एवं प्रति.सा.2 अपने मुख्य परीक्षण के अभिकथनानुसार मेहरवान सिंह द्वारा गोविंद सिंह को अस्सी हजार रुपये देने के बदले उसके द्वारा पांच छ वर्ष पूर्व जमीन लिखी जाना अभिकथित करते हैं। किशोर सिंह आहतगण द्वारा स्वयं की मां मूलाबाई की मारपीट करना तथा उसकी भाभी द्वारा बताये जाने पर, जाना तब गोविंद सिंह लाठी द्वारा एवं लीलाबाई द्वारा उसे हंसिये से तथा तीनों आहतगण द्वारा उसे लाठी, चाकू तथा हंसिया से मारने का अभिकथन कर अपने द्वारा भी आहतगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराना अभिकथित कर स्वयं के द्वारा आहतगण के विरुद्ध कराई गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट के दस्तावेज प्रदर्श डी 1 लगायत डी 21 न्यायालय में प्रस्तुत करना अपने मुख्य परीक्षण में अभिकथित करता है।

10. अपीलार्थीगण की ओर से अपना अवलंबन प्रदर्श डी 1 लगायत 21 के दस्तावेजों तथा अपील आधारों पर अवलंबित किया है। जबकि अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक की अनुपस्थिति के कारण विरोध स्वरूप कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है।

11. वर्तमान अपील के निराकरण हेतु विधिक तकनीकी सूक्ष्मता निम्न प्रकार उद्भूत हुई है कि राज्य की ओर से आहतगण के पक्ष समर्थन हेतु अपर लोक अभियोजक ने उपस्थित होकर अपीलार्थीगण के विरुद्ध कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किये हैं। वर्तमान प्रकरण विशिष्ट प्रकृति का प्रकरण होना अभिलेख के अवलोकन से उस दशामें प्रकट होता है कि जहां प्रतिरक्षा साक्षीगण के रूप में अभियुक्तगण किशोरसिंह, मेहरवान सिंह ने अपनी प्रतिरक्षा साक्ष्य में आहतगण के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कराना दर्शित किया है और जहां स्वयं आहतगण की साक्ष्य से भी घटना वर्तमान घटना

से ही संबद्ध होकर अभियुक्तगण द्वारा पंजीबद्ध कराया गया प्रकरण एक ही घटना से संबद्ध होना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में अभियोजन की उपस्थिति के बिना भी अभिलेख पर विद्यमान साक्ष्य के आधार पर सुस्थापित विधिक सिद्धांत एवं प्रतिपादनाओं के आधार पर प्रकरण में निर्णय पारित किया जा सकता है। अस्तु राज्य की अनुपस्थिति ऐसी कोई तकनीकी त्रुटि होना प्रकट नहीं होता कि जिससे निर्णय दूषित हो जाये।

12. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनेकों न्याय दृष्टांत में मार्गदर्शक विधि अभिकथित की है कि अपील न्यायालय अपील प्रक्रम पर साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है अथवा आवश्यक होने पर न्याय हित में किसी साक्षी को साक्ष्य अंकित करने हेतु आहूत कर सकता है। उक्त विधिक सिद्धांत के आलोक में भी राज्य की अनुपस्थिति से वर्तमान निर्णय पारित किये जाने में कोई विधिक दोष उत्पन्न नहीं होता।

13. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्त मुकेश के संबंध में धारा 324 भा.द.वि. के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप हेतु उसे दोषसिद्ध करते हुए तथा अभियुक्तगण किशोर सिंह, मन्नूलाल, गोविंद सुखबतीबाई एवं सखीबाई को धारा 324/34 भा.द.वि. के आरोप हेतु दोषसिद्ध किया है। उक्त तथ्य के संबंध में अभिलेख पर विद्यमान साक्ष्य का मूल्यांकन किये जाने पर प्रकट होता है कि आहत लीलाबाई अ.सा.2 अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त मुकेश द्वारा उसे सिर में फरसा मारे जाने का तथ्य अभिकथित करती है, जबकि आहत गोविंद सिंह जो कि लीलाबाई का पति है, अपने मुख्य परीक्षण में आहत लीलाबाई को अभियुक्त मुकेश द्वारा लाठी मारना अभिकथित करता है। साक्षी भाईसाहब अ.सा.3 लीलाबाई को कारित उपहति के संबंध में ऐसा कोई स्पष्ट अभिकथन अपने मुख्य परीक्षण में अभिकथित नहीं करता है कि अभियुक्त मुकेश ने इस साक्षी की मां आहत लीलाबाई अ.सा.2 को फरसे से सिर में उपहति कारित की थी। यह साक्षी किसी अभियुक्त को विशिष्ट रूप से चिन्हित नहीं कर उन्हें संज्ञा के रूप में अभियुक्तगण संबोधित कर, उनके द्वारा मारपीट किया जाना अपने मुख्य परीक्षण में अभिकथित करता है। अभियोजन की ओर से परीक्षण गया साक्षी रामचरण अ.सा.4 स्वयं के समक्ष पंचायत होना और पंचायत में लालसाहब से कहने लगना कि गोविंद सिंह पैसे नहीं दे रहा है और लेनदेन पर से लड़ाई झगड़ा हो गया था, मात्र यह अभिकथन प्रश्नगत लड़ाई के संबंध में अभिकथित करता है।

14. साक्षी डॉक्टर आर.पी. शर्मा अ.सा.5 जो कि आहतगण गोविंद सिंह तथा भाईसाहब का मेडीकल परीक्षणकर्ता होकर उसी दिनांक को अभियुक्त किशोरसिंह तथा दिनांक 17.09.06 को भूलाबाई तथा किशोरसिंह पुत्र सरवन का मेडीकल परीक्षण करना अभिकथित करता है। अर्थात् उक्त साक्षी चिकित्सक साक्षी है। साक्षी जगदीश अ.सा.6 जो कि उपनिरीक्षक है, दिनांक 18.09.06 को पुलिस चौकी थूबोन पर ए एस आई के पद पर पदस्थ रहते हुए गोविंद सिंह के द्वारा अंकित कराये जाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 अंकित करना तथा **प्रतिपरीक्षण में** उसी दिनांक को

किशोरसिंह लोधी की रिपोर्ट पर से आहतगण गोविंद सिंह एवं लीलाबाई के विरुद्ध भी प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करना और लीलाबाई एवं किशोरसिंह को चिकित्सक के पास भेजना और प्रदर्श डी 1 पर लिखाई रिपोर्ट, नक्शा मौका प्रदर्श डी 6 तैयार करना तथा प्रदर्श डी 11 लगायत 15 उसके द्वारा ही लेखबद्ध किया जाना अपने प्रतिपरीक्षण में प्रकट करता है।

15. अभियोजन की ओर से परीक्षण कराये गये अन्य साक्षी भज्जी उर्फ रघुनाथ लोधी अ.सा.9 अभियुक्तगण द्वारा पत्थरों से आहतगण को मारपीट करना और पत्थरों के अलावा लाठियों से भी मारपीट करना अपने कथन में अभिकथित करता है, किन्तु इस तथ्य के संबंध में लेस मात्र भी अभिकथन प्रकट नहीं करता कि अभियुक्त मुकेश ने आहत लीलाबाई को फरसे से सिर में कोई चोट कारित की थी। अर्थात् आहत लीलाबाई को अभियुक्त मुकेश द्वारा उपहति कारित किये जाने के तथ्य के संबंध में स्वयं लीलाबाई उसके पति गोविंद एवं अभियोजन साक्षी भज्जी लोधी अ.सा.9 के कथन में उस चोट को कारित किये जाने के साधन के संबंध में एक तात्विक महत्व का विरोधाभास है।

16. न्यायालय को अभिलेख पर विद्यमान साक्ष्य के आधार पर यह अवधारण करना है कि, क्या यह तात्विक महत्व का विरोधाभास मामले की जड़ तक पहुंचकर अभियोजन प्रकरण की सत्यता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है अथवा नहीं। उक्त तथ्य के अवधारण हेतु प्रथम तथ्य स्वयं आहत भाईसाहब के कथन के रूप में अभिलेख पर विद्यमान है, जो अभियुक्त मुकेश द्वारा घटना में फरसा प्रयुक्त किये जाने का कोई अभिकथन प्रकट नहीं करता। साक्षी गोविंद लाठी द्वारा और साक्षी भज्जी अ.सा.9 पत्थरों द्वारा आहत लीलाबाई को उपहति कारित किये जाने का तथ्य अपने कथन में प्रकट करता है।

17. भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 39 **स्वेच्छया** शब्द को परिभाषित करती है और इसके अधीन किसी परिणाम को स्वेच्छया कारित करना तब कहा जाता है, जबकि जिस साधन द्वारा उसे कारित करने का आशय हो और उस साधन से उस परिणाम को कारित किया जाये। अर्थात् स्वेच्छया उपहति कारित किये जाने में प्रयुक्त किये गये साधन का परिणाम उत्पन्न करने हेतु महत्वपूर्ण स्थान होता है।

18. आहत लीलाबाई अ.सा.2 को स्वयं उसके अभिकथनानुसार अभियुक्त मुकेश द्वारा उसके सिर में कारित उपहति फरसे द्वारा, साक्षी गोविंद सिंह अ.सा.1 के अभिकथनानुसार लट्ठ द्वारा एवं साक्षी भज्जी उर्फ रघुनाथ लोधी के अभिकथनानुसार पत्थर द्वारा कारित की गयी उपहति होने से या तो फरसा या लट्ठ या पत्थर इस परिणाम को कारित करने वाले साधन है, जबकि अभियोग पत्र की अंतर्वस्तु की इस तथ्य को प्रकट करती है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रस्तुत अभियोग पत्र में अभियोजन पक्ष की ओर से जिस साक्ष्य पर अपना अवलंबन होना प्रतिवेदन के

साथ संलग्न प्रपत्रों पर दर्शित किया गया है, उन प्रपत्रों में एफआईआर, नक्शा मौका, मेडीकल रिपोर्ट, एक्सरे रिपोर्ट पंचनामा गिरफ्तारी जमानत मुचलका व कथन साक्षी ये सात प्रकार के दस्तावेज सम्मिलित किये गये हैं। इन दस्तावेजों में फरसा, लट्ठ अथवा पत्थर को जप्त किये जाने विषयक कोई जप्ती पत्रक अभियोग पत्र संलग्न प्रस्तुत किया जाना दर्शित ही नहीं किया गया है अर्थात् लीलाबाई को सिर में उपहति कारित किये जाने का परिणाम उत्पन्न करने वाले साधन को अनुसंधान के प्रक्रम पर जप्त किया जाना ही अभिलेख से प्रकट नहीं है।

19. इसके अतिरिक्त आहत लीलाबाई अ.सा.2 को आहतगण गोविंद एवं भाईसाहब सहित मेडीकल परीक्षण कराने हेतु प्रदर्श पी 4 लगायत 6 के प्रतिवेदन द्वारा पुलिस चौकी थूबोन से मेडीकल ऑफीसर अस्पताल चंदेरी के समक्ष प्रस्तुत किया गया और साक्षी डॉक्टर आर.पी. शर्मा अ.सा.5 के अभिकथन एवं उक्त दस्तावेज प्रदर्श पी 4 लगायत 6 की अंतर्वस्तु अनुसार आहत लीलाबाई अथवा गोविंद एवं भाईसाहब को कारित चोटों में से इन चोटों का एक्सरे करवाने हेतु उन्हें रैफर किया गया, उनमें से किसी भी व्यक्ति की एक्सरे हेतु निर्देशित चोट के संबंध में उक्त चिकित्सक द्वारा उस चोट को **सख्त एवं धारदार** वस्तु द्वारा कारित किये जाने का तथ्य मेडीकल रिपोर्ट प्रदर्श पी 4 लगायत 6 में **अंकित नहीं कर एक्सरे परीक्षण के बाद दिया जायेगा अभिलिखित कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लिया जाना उक्त कथन एवं उक्त दस्तावेजों से प्रकट होता है**, अर्थात् परीक्षण के प्रथम प्रक्रम पर ही प्रदर्श पी 4, 5 अथवा 6 में इस साक्षी ने इन दस्तावेजों में सख्त एवं धारदार आयुध का उपयोग कर चोट कारित किये जाने का **कोई अभिमत स्पष्ट रूप से चिकित्सक होने के बावजूद उस चोट की प्रकृति को स्पष्ट करने हेतु दिया ही नहीं है**, अर्थात् लीलाबाई के सिर की चोट किस साधन से कारित की गयी चोट थी, इस संबंध में कोई चिकित्सकीय अभिमत न तो अभिलेख पर विद्यमान है, न ही अनुसंधान के प्रक्रम पर उस चोट को कारित किये जाने के किसी साधन को जप्त किया जाना ही प्रकट हो रहा है, वहां ऐसी स्थिति में स्वयं आहत लीलाबाई अ.सा.2 तथा साक्षीगण गोविंद सिंह अ.सा.1 एवं भज्जी उर्फ रघुनाथ अ.सा.9 के अभिकथन के विरोधाभास प्रतिकूल रूप से अभियोजन प्रकरण की सत्यता को प्रभावित कर इस तथ्य को प्रमाणित नहीं करते कि अभियुक्त मुकेश द्वारा फरसे से आहत लीलाबाई के सिर में उपहति कारित की थी। उक्त तथ्यों ने विद्वान विचारण न्यायालय ने विचार किये बिना ही अभियुक्त मुकेश को धारा 324 भा.द.वि. के आरोप हेतु तथा अवशेष रहे अभियुक्तगण को धारा 324/34 भा.द.वि. के आरोप हेतु दोषसिद्ध घोषित करने में विधिक त्रुटि कारित की है। ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त संबंध में की गयी दोषसिद्धि एवं दंडादेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं होने से अपास्त की जाती है।

20. जहां तक अभियुक्तगण द्वारा आहतगण को सदोष परिरोध कारित किये जाने के तथ्य एवं सामान्य आशय के अग्रसरण में उपहति एवं घोर उपहति कारित किये जाने के तथ्य का प्रश्न है ? अभियोगी गोविंद सिंह अ.सा.1 साक्षी लीलाबाई अ.सा.



2, भाईसाहब अ.सा.3 एवं भज्जी उर्फ रघुनाथ लोधी अ.सा.9 अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्तगण द्वारा गोविंद सिंह लीलाबाई और भाईसाहब को क्रमशः रस्सी से बांधकर डाल लेने और घर के अंदर के रस्सी से बांध कर डाल देने का अभिकथन अभिकथित करते हैं। गोविंद सिंह अ.सा.1, लीलाबाई अ.सा.2 एवं भाईसाहब अ.सा.3 पति, पत्नि और पुत्र के नाते आपस में संबद्ध हैं। साक्षी भज्जी उर्फ रघुनाथ सिंह अ.सा.9 के प्रतिपरीक्षण की कंडिका 4 के कथनानुसार वह गोविंद सिंह का साढ़ू है अर्थात् उक्त साक्षीगण आपस में रिश्तेदार हैं।

21. अभियोगी गोविंद सिंह अ.सा.1 की प्रतिपरीक्षण की कंडिका 7 लीलाबाई अ.सा.2 प्रतिपरीक्षण की कंडिका 5 एवं साक्षी भाईसाहब अ.सा.3 के प्रतिपरीक्षण की कंडिका 2 एवं 4 के अभिकथन से यह तथ्य प्रकट होता है कि अभियुक्तगण द्वारा अंकित कराई गयी रिपोर्ट पर से गोविंद सिंह एवं लीलाबाई के विरुद्ध भी इसी घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराने से मामला उद्भूत हुआ है तथा अभिलेख पर अभियुक्त किशोर सिंह प्रति.सा.1 बचाव साक्षी के रूप में स्वयं का परीक्षण कराते हुए अपने मुख्य परीक्षण में अंतिम प्रतिवेदन की सत्य प्रतिलिपि प्रदर्श डी 5, 16 तथा रिपोर्ट प्रदर्श डी 17, किशोर सिंह लोधी की रिपोर्ट प्रदर्श डी 18 तथा उसके व उसकी पत्नि के मेडीकल परीक्षण की सत्य प्रतिलिपि प्रदर्श डी 19 लगायत 21 बाबत भी अभिकथन किया जाना उक्त परिस्थिति को प्रकट करता है कि उभयपक्ष के मध्य विद्वेष का तथ्य भी विद्यमान है।

22. जहां अभियोजन साक्षीगण स्वयं में आपस में रिश्तेदार हैं उभयपक्ष के मध्य विद्वेष का तथ्य विद्यमान है। जहां अभियुक्तगण ने अपनी प्रतिरक्षा में अभियोगी/आहतगण के विरुद्ध अंकित कराई गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट से उद्भूत हुए प्रकरण के दस्तावेजों को प्रतिरक्षा में प्रस्तुत किया है, वहां ऐसी स्थिति में न्याय दृष्टांत **थोटी मनोहर बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य 2012 (7) सुप्रीम कोर्ट केसेज 723** में प्रदत्त दिशा-निर्देशानुसार मात्र निकट संबंधी साक्षी होने के कारण साक्षी की साक्ष्य त्याज्य नहीं हो जाती, परन्तु रंजिश होने का तथ्य प्रमाणित हो तो साक्ष्य पर सतर्कता से विचार किया जाना चाहिए।

23. इसी प्रकार न्याय दृष्टांत **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नरेश 2011 कि.लॉ.जनरल 2162 सुप्रीम कोर्ट** में प्रदत्त मार्गदर्शक विधि अनुसार निकट संबंधी साक्षी की साक्ष्य केवल पीड़ित से संबंध होने के आधार पर अस्वीकार नहीं की जा सकती यदि प्रतिरक्षा पक्ष झूठा फसाया जाने का अभिकथन करता है तो उसे ठोस आधार प्रस्तुत करके सिद्ध करना चाहिए एवं न्याय दृष्टांत **मलहू यादव बनाम बिहार राज्य एआई आर 2002 सुप्रीम कोर्ट 2137** में प्रदत्त मार्ग दर्शक विधि अनुसार यह तथ्य कि कुछ साक्षीगण पीड़ित व्यक्ति के कुटुम्ब के रिश्तेदार थे, उनकी साक्ष्य को अविश्वसनीय मानकर अस्वीकार कर देने का आधार नहीं है, परन्तु ऐसे साक्ष्य को स्वीकार करने अथवा उस पर कार्यवाही करने के पूर्व उसका अत्यंत सावधानी तथा

सतर्कता से विश्लेषण तथा जांच किये जाने की अपेक्षा की जाती है।

24. यद्यपि अभियोगी गोविंद सिंह अ.सा.1 तथा लीलाबाई आदि अभियुक्तगण द्वारा उन्हें रस्सी से बांधकर डाल देने अथवा घर में डाल देने का अभिकथन कथित करते हैं और प्रतिपरीक्षण में यह तथ्य भी प्रकट करते हैं कि शाम के पांच सात बजे तक वे बंधे रहे थे अभियुक्तगण ने ही पुलिस को बुलाया था। उक्त अभिकथन गोविंद सिंह अ.सा. 1 के प्रतिपरीक्षण की कंडिका 9, लीलाबाई के प्रतिपरीक्षण की कंडिका 7 एवं भाईसाहब के प्रतिपरीक्षण की कंडिका 3 से ध्वनित होता है और भाईसाहब अ.सा.3 मुख्य परीक्षण में यह कथित करता है कि शाम को पुलिस आयी थी और हमें थाने ले गये थे।

25. जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 में अभियोगी गोविंद सिंह का उसकी पत्नि लीलाबाई तथा भाईसाहब ने उपस्थित होकर थूबोन चौकी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराया जाना अभिलिखित किया गया है।

26. जब अभियुक्तगण ने आहतगण को शाम तक बांध कर रखा पुलिस उन्हें अपने साथ लेकर गयी तब उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह तथ्य क्यों अंकित किया गया कि **फरियादी गोविंद सिंह ने मय हमराह अपनी पत्नि लीलाबाई तथा लड़के भाईसाहब के साथ उपस्थित चौकी आकर मौखिक रिपोर्ट की कि, .....** इसका कोई स्पष्टीकरण अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किये जाने पर और अभियोगी तथा अभियोजन साक्षीगण के आपस में हितबद्ध रिश्तेदार होकर अभियुक्तगण के विरुद्ध उनके द्वारा आहतगण को बांधकर रखे जाने का अभिकथन स्वमेव अपनी सत्यता को संदेहास्पद करने वाला अभिकथन हो जाता है। **द्वितीयतः** यदि पुलिस द्वारा मौके पर से आहतगण को बंधी हुई अवस्था में पाते हुए अभियुक्तगण के परिरोध से मुक्त कराया था और आहतगण को थाने पर लाये थे, तो वह रस्सी जिससे आहतगण को बांधकर रखा गया था, वह अपराध की विषयवस्तु होने बावजूद अनुसंधानकर्ता अधिकारी द्वारा जप्त क्यों नहीं की गयी। इस तथ्य का स्पष्टीकरण नहीं देना भी उक्त साक्षीगण के कथन की सत्यता को भी समाप्त करता है।

27. इसके अतिरिक्त स्वयं आहतगण से संबद्ध साक्षी भज्जी उर्फ रघुनाथ सिंह अ.सा.9 अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 5 में यह अभिकथन करते हुए अभियोजन प्रकरण की सत्यता को समाप्त करता है कि उसने फरियादीगण को कोई चोट नहीं देखी थी। **द्वितीयतः** यह साक्षी मुख्य परीक्षण में अभिकथन करता है कि वह आरोपीगण को जानता है आरोपीगण द्वारा पत्थरों से एवं लाठियों से आहतगण को मारपीट करना फिर लीलाबाई द्वारा इस साक्षी से कहना कि तुम भाग जाओ नहीं तो आरोपीगण तुम्हारी भी मारपीट करेंगे कहना और अभियुक्तगण द्वारा आहतगण को बांध देना फिर इसके रिश्तेदारों द्वारा अभियुक्तगण से कहना कि बंधे हुए लोगों को छोड़ दो किन्तु उनके द्वारा नहीं छोड़ने पर पुलिस द्वारा आकर उन्हें छोड़ाना और पुलिस द्वारा

इस साक्षी का कोई कथन नहीं लेना आदि अभिकथन यह साक्षी अपने मुख्य परीक्षण में तो प्रकट करता है किन्तु अपने प्रतिपरीक्षण के निम्न लिखित अभिकथन से स्वमेव ही अपने कथन की साथ ही साथ अभियोजन प्रकरण की सत्यता को भी समाप्त करता है।

28. अतिरिक्त मुख्य परीक्षण अभियोजन की ओर से किये जाने पर यह साक्षी घटना के समय सभी पंच का इकट्ठा होना किन्तु किसी के द्वारा भी यह नहीं कहना कि अभियोगीगण को मत मारो, फिर इस साक्षी द्वारा यह सोचना कि जब फरियादीगण का कोई नहीं है तो मैं भी क्यों रूकूं इसलिए मैं वहां से भाग गया था, यह अभिकथन लीलाबाई द्वारा इस साक्षी को भागने के लिए कहने के अभिकथन की सत्यता को समाप्त करने हेतु पर्याप्त है। प्रतिपरीक्षण की कंडिका 4 में इस साक्षी का अभिकथन पंचायत लगी थी, पच्चीस आदमी बैठे थे, वैसे ही छ सात आदमी आये माडने लगे तभी मैं डर के भाग गया फिर मैंने नहीं देखा कि किसने किसको मारा तथा प्रतिपरीक्षण की कंडिका 5 में का अभिकथन कि उसने फरियादीगण को कोई चोटें नहीं देखी थीं, यह अभिकथन अभियुक्तगण द्वारा आहतगण को पत्थर अथवा लकड़ी से चोट पहुंचाये जाने के अभिकथन की सत्यता को समाप्त करने हेतु पर्याप्त है।

29. यह साक्षी मुख्य परीक्षण में अभियुक्तगण को पहचानना तो कथित करता है किन्तु प्रतिपरीक्षण की कंडिका 4 के अभिकथनानुसार छ सात व्यक्तियों का आना और माडने लगना और किसने किसको मारा यह नहीं देख पाना अभिकथित कर अपने कथन की सत्यता को समाप्त करता है। उक्त परिस्थिति में इस साक्षी के हितबद्ध साक्षी के रूप में किये गये अभिकथन अभियुक्तगण के विरुद्ध उन्हें दोषी प्रमाणित कराये जाने हेतु अभियोगी/आहतगण के हित में किये गये सत्य के प्रतिकूल अभिकथन होना प्रकट होने से उस पर विश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं रह जाता।

30. जहां तक आहतगण गोविंद सिंह अ.सा.1 एवं लीलाबाई अ.सा.2 एवं भाईसाहब अ.सा.3 के अभिकथन की सत्यता द्वारा अभियोजन प्रकरण प्रमाणन होने का प्रश्न है, अभियोगी गोविंद सिंह अ.सा.1 अभियुक्त किशोर द्वारा उसके बांये कंधे पर, अभियुक्त मुकेश द्वारा उसकी कमर में अभियुक्त मन्नू द्वारा उसकी पिडली में लट्ठ मारना और उसकी पत्नि लीलाबाई को मुकेश, सुखवती व सखीबाई द्वारा भी लट्ठ मारना कथित करता है। लीलाबाई स्वयं को किशोर सिंह द्वारा लट्ठ से मुकेश द्वारा सिर में फरसे से, मन्नू द्वारा लट्ठ से और सखीबाई द्वारा भी उसकी मारपीट करना और उसके लड़के भाईसाहब की मारपीट किशोर द्वारा करने से उसका हाथ टूटना और अभियुक्त किशोर द्वारा आहत गोविंद को बांये हाथ में लट्ठ मारना अपने कथन में अभिकथित करती है।

31. आहत भाईसाहब के कथनानुसार जब उसके पापा गोविंद सिंह और उसकी मम्मी लीलाबाई जब खेत पर जा रहे थे, उतरते समय, मेहरबान, किशोर,

मन्नू और नत्थू ने पकड़कर उन्हें मारपीट की और जब वह बचाने गया तो उसे भी पकड़ लिया और उसके पैर व हाथ में लट्ठ मारे जिससे उसे दांये हाथ में फ्रेक्चर हो गया।

32. आहतगण के उक्त अभिकथन में उत्पन्न विरोधाभास गोविंद सिंह द्वारा यह अभिकथन कि उसकी पत्नि लीलाबाई को मुकेश ने लट्ठ से मारा, जबकि लीलाबाई के अभिकथनानुसार किशोर सिंह ने उसे लट्ठ मारा और मुकेश ने सिर में फरसा मारा, जबकि साक्षी भाईसाहब के कथनानुसार मेहरवान, किशोर मन्नू, नत्थू इन लोगों ने पकड़कर मारपीट की। अर्थात् यह साक्षी स्वयं आहत होकर नत्थू नामक ऐसे व्यक्ति द्वारा भी मारपीट करना अभिकथित कर रहा है, जो कि अभियोग पत्र में अभियुक्त के रूप में नामित ही नहीं किया गया है। अभियोग पत्र में किशोर सिंह, मन्नूलाल, मुकेश, मेहरवान सिंह, सुखबती एवं सखीबाई को अभियुक्तगण के रूप में नामजद किया गया है।

33. स्वयं आहत/अभियोगी गोविंद सिंह अ.सा.1 द्वारा अभिलिखित कराई गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 तथा उसके पुलिस कथन में तथा स्वयं आहत भाईसाहब के पुलिस कथन में भी नत्थू द्वारा मारपीट किये जाने का तथ्य अंकित नहीं है। आहत भाईसाहब अ.सा.3 अपने मुख्य परीक्षण में अभियोग पत्र में नामित अभियुक्तगण सुखबती एवं सखीबाई के कृत्य विषयक लेशमात्र अभिकथन अभिकथित नहीं करता न ही सुखबती एवं सखीबाई का नाम ही अपने मुख्य परीक्षण में अपराध कारित किये जाने वाले व्यक्तियों के रूप में अभिकथित ही करता है। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षीगण के आपस में रिश्तेदार होने से तथा उनके कथन में महत्वपूर्ण तात्विक विरोधाभास होने से अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिरक्षा साक्ष्य से तौलकर देखा जाना आवश्यक हो जाता है। अभियुक्तगण द्वारा अपनी प्रतिरक्षा में जो साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है तथा स्वयं अभियोगी गोविंद सिंह अ.सा.1 से प्रतिपरीक्षण के प्रक्रम पर कंडिका 3 लगायत 8 के अभिकथन में जो तथ्य प्रकट कराये गये हैं, उससे अभियुक्तगण द्वारा किया गया कार्य उनकी प्रायवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में किये गये कार्य के रूप में अभियुक्तगण द्वारा अभिलेख पर प्रकट कराये जाने का मन्तव्य प्रकट होता है।

34. यद्यपि अभियुक्तगण ने इस तथ्य के संबंध में कोई प्रतिपरीक्षण अभियोगी से नहीं किया है कि प्रश्नगत घटना के समय अग्रसर अभियोगी/आहतगण ही थे और अभियुक्तगण ने अपनी प्रतिरक्षा में उन्हें उपहतियां कारित की थीं।

35. न्याय दृष्टांत अरुण बनाम महाराष्ट्र राष्ट्र (2009)4 सुप्रीम कोर्ट केसेज 615=एआईआर सुप्रीम कोर्ट वीकली 2318 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रतिरक्षा के अधिकार के उपयोग के संबंध में यह विधि मार्गदर्शित की है कि आत्मरक्षा के अधिकार के सबूत का भार अभियुक्त पर होता है। उसे न्यायालय में यह सिद्ध करना आवश्यक है कि उसे आत्मरक्षा के लिए चोट पहुंचायी है। यदि

परिस्थिति यह सिद्ध करती है कि उसने आत्मरक्षा के लिए चोट पहुंचायी है तो अभियुक्त के द्वारा यह बिंदू न्यायालय में न उठाये जाने पर भी न्यायालय इसकी पुष्टि न्यायालय में आयी साक्ष्य से करेगा और यह स्पष्ट हो जाने पर कि आत्मरक्षा के लिए चोटें पहुंचायी गयी हैं तो ही उसे दोषमुक्त किया जायेगा, अथवा नहीं।

36. अभियोगी गोविंद आहत लीलाबाई एवं भाईसाहब के अभिकथन से ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं होता कि अभियुक्तगण के विरुद्ध उन्होंने स्वयं को प्रदत्त आत्मरक्षा के प्रायवेत प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग किया था, जिससे अभियुक्तगण को आहतगण के विरुद्ध प्रायवेत प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं रहा था। गोविंद सिंह अ. सा.1 अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 7 में यह तथ्य स्वीकार करता है कि मूलाबाई की मारपीट कर मुकदमा इसी न्यायालय में उस पर तथा उसकी पत्नि के उपर चल रहा है और उसी दिन का उसी घटना का किशोर की मारपीट करने का मुकदमा भी उस पर तथा उसकी पत्नि पर चल रहा है और घटना सात बजे की है। अर्थात् इसी घटना के संबंध में अभियुक्तगण द्वारा लिखाई गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट से आहतगण गोविंद सिंह एवं लीलाबाई के विरुद्ध प्रकरण प्रचलित होना स्वीकार किये जाने की स्थिति इस तथ्य को प्रकट करती है कि उक्त दोनों ही अभिकथित प्रकरण एक-दूसरे के कॉस प्रकरण रहे हैं।

37. प्रतिरक्षा में प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श डी 19 लगायत 21 जिसके पृष्ठ पर प्रदर्श डी 2 लगायत 4 भी अंकित हैं, आहत किशोर सिंह, मूलाबाई का मेडीकल परीक्षण कराये जाने हेतु पुलिस चौकी थूबोन एवं पुलिस थाना चंदेरी द्वारा अभिलिखित मुलाहिजा फार्म है, जिसके अधीन उनका मेडीकल परीक्षण संबंधित चिकित्सक द्वारा किया गया जिसकी पुष्टि साक्षी डॉक्टर आर.पी. शर्मा अ.सा.5 अपने कथन में पुष्ट करता है। प्रदर्श पी 5 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की सत्य प्रतिलिपि किशोर सिंह द्वारा गोविंद सिंह व लीलाबाई के नामजद दिनांक 18.09.04 को 07 बजे ग्राम घमरासा में कारित घटना के संबंध में थूबोन चौकी पर अंकित कराई गयी रिपोर्ट है जिससे अपराध क्रमांक 022/06 आहतगण के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया है।

38. वर्तमान प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 जो कि गोविंद सिंह ने किशोरसिंह आदि के विरुद्ध अंकित कराई है वह भी उसी दिनांक, समय व स्थान की घटना है। किशोरसिंह आदि ने थूबोन चौकी पर उसी दिनांक को 15 बजे अर्थात् दोपहर तीन बजे गोविंदसिंह व लीलाबाई के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करा दी है जबकि वर्तमान प्रकरण से संबद्ध अपराध क्रमांक 023/06 की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 थूबोन चौकी पर गोविंदसिंह ने किशोरसिंह आदि के विरुद्ध 17:30 बजे अर्थात् शाम साढ़े पांच बजे अंकित कराई है। अर्थात् अभियुक्तगण द्वारा अंकित कराई गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट गोविंद सिंह आदि के पूर्व ही अंकित करा दी जाना उक्त परिस्थिति में प्रकट

है।

39. अभियोगी की हैसियत में किशोर सिंह ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 5 में अंकित कराया है कि सुबह लगभग सात बजे वह अपने मकान के पास खेड़े में बाखर हांक रहा था तभी घर से उसकी भाभी सुखबती ने आवाज लगाई कि दौड़ियो बाई को मार रहे हैं, इस पर वह उसे बचाने आया, तब गोविंद और लीलाबाई किशोरसिंह की मां को हाथ पकड़कर घसीट रहे थे और जब उसने जाकर बचाया तो लीलाबाई ने एक हंसिया उसे मारा, जिससे पकड़ने पर उसके दाहिने हाथ की तीन अंगुली कटकर खून निकल आया।

40. उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट की अंतर्वस्तु के विरुद्ध किशोरसिंह प्रति. सा.1 के प्रतिपरीक्षण के प्रक्रम पर अभियोजन की ओर से ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं कराया है कि उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट असत्य है। जबकि प्रतिपरीक्षण की कंडिका 5 में अभियोजन की ओर से यह स्वीकारोक्ति किशोरसिंह के कथन के रूप में अभिलेख पर प्रकट कराई कि वह अपनी मां की मारपीट करने के समय घटना स्थल पर नहीं था वह अपनी भाभी के बुलाने पर घटना स्थल पर आया था अर्थात् उक्त अभिकथन प्रतिरक्षा में प्रस्तुत प्रदर्श पी 5 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की अंतर्वस्तु की सत्यता को पुष्ट करने वाली स्वीकारोक्ति है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त किशोरसिंह आदि का झगड़े को प्रारंभ करने वाला अग्रसर पक्ष होना भी प्रकट नहीं करता।

41. प्रदर्श डी 6 का नक्शा मौका वर्तमान प्रकरण के नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 के समान ही है। दोनों ही घटना सुबह सात बजे की हैं। दोनों ही घटना स्थल में तात्विक महत्व की कोई दूरी मौजूद नहीं है। उक्त तथ्य भी अभियुक्तगण के प्रतिरक्षा की अधिकार की प्रयोज्यता को न्यायानुमत करने वाले तथ्य हैं। अभियुक्त के रूप में नामित मन्नू का पुलिस कथन प्रदर्श डी8, किशोरसिंह का पुलिस कथन प्रदर्श डी 9, कुंवर लाल का पुलिस कथन प्रदर्श डी 13 भी गोविंद लीलाबाई द्वारा अभियुक्तगण किशोरसिंह को उपहति कारित किये जाने का तथ्य प्रकट करता है। यह परिस्थिति भी अभियुक्तगण के आत्यरक्षा के अधिकार की प्रयोज्यता को न्यायानुमत धारित करने वाला तथ्य है।

42. स्वयं विचारण न्यायालय ने निर्णय की कंडिका 46 में किशोरसिंह के शरीर पर विद्यमान चोटों के संबंध में अभियोजन की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिये जाने का तर्क अभियुक्तगण द्वारा उठाया जाना अंकित करते हुए निर्णय की कंडिका 47 में डॉक्टर आर.पी. शर्मा अ.सा.5 की किशोरसिंह के मेडीकल परीक्षण की साक्ष्य का मूल्यांकन किया है और इस चोट को किशोर सिंह द्वारा गोविंद सिंह आदि से हंसिया छुड़ाने पर किशोरसिंह की अंगुली कट जाने के तथ्य के रूप में धारित किया है, जबकि विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अभियुक्तगण द्वारा काँस केस क्रमांक 495/06 की ओर अंतिम तर्क में न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया

गया था और इस संबंध में निर्णय की कंडिका 32 में विचारण न्यायालय ने अभिलेखन भी किया है और जहां कि अभियुक्तगण ने अपनी प्रतिरक्षा दस्तावेजों को अभिलेख पर प्रस्तुत भी किया है, वहां ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय को अभियुक्तगण के प्रायवेट प्रतिरक्षा के मूल्यवान अधिकार का अवधारण करना तथा अग्रसर पक्ष कौन था, इस तथ्य का अवधारण करना भी अत्यंत आवश्यक था, किन्तु विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त तथ्य पर साक्ष्य मूल्यांकन के दौरान कोई ध्यान आकर्षित ही नहीं किया है।

43. यदि गोविंद सिंह, लीलाबाई एवं भाईसाहब के शरीर पर विद्यमान चोटें अभियुक्तगण किशोरसिंह आदि के कृत्य का परिणाम था और जब एक ही समय पर कारित हुई घटना के संबंध में दोनों ही पक्ष ने एक-दूसरे के विरुद्ध रिपोर्ट अंकित कराई और जहां अभियुक्त किशोर सिंह एवं उसकी पत्नि मूलाबाई का मेडीकल परीक्षण प्रदर्श डी 19 लगायत 21 द्वारा कराये जाने पर उनके शरीर पर भी चोटें विद्यमान पायी गयीं, जिसका संतोषप्रद कोई स्पष्टीकरण अभियोजन की ओर से प्रकट नहीं किया गया, वहां उक्त समग्र परिस्थितियां अभियुक्तगण द्वारा किये गये कार्य को उनके प्रायवेट प्रतिरक्षा में समाहित करने वाला तथ्य होना प्रकट करता है, जिस पर विद्वान विचारण न्यायालय ने साक्ष्य मूल्यांकन के दौरान अपना ध्यान आकर्षित नहीं किया है। फलतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आहतगण गोविंद सिंह, लीलाबाई एवं भाईसाहब के संबंध में उन्हें कारित उपहति एवं घोर उपहति हेतु अभियुक्तगण को दोषसिद्ध करने में विधिक त्रुटि कारित की है।

44. अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त संबंध में दिये गये निष्कर्ष एवं दंडादेश को अपास्त किया जाता है। फलतः अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार कर विद्वान विचारण न्यायालय पारित निर्णय एवं दंडादेश दिनांक 16.05.15 जिसके द्वारा समस्त अभियुक्तगण को समस्त व्यथितगण हेतु धारा 342 भा.द.वि. के प्रमाणित आरोप के संबंध में एक माह का सश्रम कारावास एवं 100 रुपये के अर्थदंड तथा व्यतिक्रम में 05 दिवस का सश्रम कारावास, अभियुक्तगण किशोरसिंह, मुकेश व मन्नू को आहत गोविंद के संबंध में धारा 323 भा.द.वि. के प्रमाणित आरोप हेतु एवं अभियुक्तगण सुखबंती, मेहरवान व सखीबाई को आहत गोविंद के संबंध में धारा 323/34 भा.द.वि. के प्रमाणित आरोप हेतु एक माह का सश्रम कारावास एवं 100 रुपये के अर्थदंड व व्यतिक्रम में 05 दिवस का सश्रम कारावास तथा अभियुक्त मुकेश को लीलाबाई के संबंध में प्रमाणित आरोप धारा 324 भा.द.वि. हेतु एवं अन्य समस्त अभियुक्तगण को प्रमाणित आरोप धारा 324/34 भा.द.वि. के संबंध में 04 माह के सश्रम कारावास एवं 300/- रुपये के अर्थदंड व व्यतिक्रम में 10 दिवस के सश्रम कारावास से तथा समस्त अभियुक्तगण को भाईसाहब के संबंध में प्रमाणित आरोप धारा 325/34 भा.द.वि. हेतु एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000/- रुपये के अर्थदंड एवं व्यतिक्रम में 01 माह के सश्रम कारावास के दंडादेश को अपास्त किया जाता है तथा अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

45. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
46. प्रकरण में जप्तशुदा कोई मुद्देमाल नहीं है।
47. अभियुक्तगण द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय में जमा कराई गयी अर्थदंड की राशि उन्हें अपील अवधि पश्चात् लौटायी जाये।
48. उक्तानुसार अपील निराकृत।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित, एवं घोषित गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया  
गया।

(सैफी दाऊदी)

प्र.अ. सत्र न्यायाधीश अशोकनगर  
के न्यायालय के अति. न्यायाधीश,  
अशोकनगर (म.प्र.)

दिनांक— 30.11.17

(सैफी दाऊदी)

प्र.अ. सत्र न्यायाधीश अशोकनगर  
के न्यायालय के अति. न्यायाधीश  
अशोकनगर (म.प्र.)